न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 126/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/474

अनवान्

1. श्री मोतीलाल पिता स्व० भेरूलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रणजीत पिता स्व० पन्नालाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री अशोक पिता स्व० पन्नालाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री पुरणमल पिता स्व० पन्नालाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री श्यामलाल पिता स्व० पन्नालाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
5. रोशनबाई पुत्री स्व० पन्नालाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री अनिल पिता स्व० माणकलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
7. श्री गौतम पिता स्व० माणकलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
8. श्री जगदीश पिता स्व० माणकलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
9. श्री दिलीप पिता स्व० माणकलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
10. रेखा पिता स्व० माणकलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
11. ममता पिता स्व० माणकलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
12. श्रीमती मंगला पत्नी स्व० माणकलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
13. श्री प्रकाश पुत्र मेहताबबाई जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
14. मधु पुत्री मेहताबबाई जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
15. प्रेमा पुत्री मेहताबबाई जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

16. पुष्पा पुत्री मेहताबबाई जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
17. श्री कमलेश पुत्र मन्जू जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
18. श्री गिरिश पुत्र मन्जू जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
19. श्री जितेन्द्र पुत्र मन्जू जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
20. मीना पुत्री मन्जू जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा. जिला उदयपुर (राज०)
21. कान्ता पुत्री स्व० सोहनलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
22. भानुमति पुत्री स्व० सोहनलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
23. श्री संजय पुत्र स्व० सोहनलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
24. श्री भोपालसिंह पुत्र स्व० सोहनलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
25. श्री सुरेश पुत्र स्व० सोहनलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
26. श्री कन्हैयालाल पुत्र स्व० सोहनलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
27. जयन्ती पुत्री स्व० सोहनलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
28. श्री राकेश पुत्र स्व० सोहनलाल जी जाति महाजन, उम्र वयस्क, निवासी घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा, जिला उदयपुर (राज०)
30. उप पंजीयक अधिकारी, घासा, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
31. पटवारी, पटवार हल्का मांगथला, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०)
32. श्रीमती मोहनीबाई पत्नी लालुराम गाडरी निवासी उपलाढाणा खरवडो का गुडा तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)
33. श्रीमती नारीबाई पत्नी कन्हैयालाल गाडरी निवासी उपलाढाणा खरवडो का गुडा तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज.)

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1,2,4 से 18, 21 से 28, 32,33

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 06.03.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा खरवडो का गुडा पटवार हल्का मांगथला तहसील घासा की आराजी नम्बर 1074, 1075, 1076, 1094, 1095, 268 किता 6 कुल रकबा 0.7123 हेक्टेयर उपरोक्त कृषि आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में विपक्षी संख्या 1 से 5 के नाम 1/8 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 से 12 के नाम 1/56 हिस्सा, विपक्षी संख्या 13 से 16 के नाम 1/40 हिस्सा, विपक्षी संख्या 17 से 20 के नाम 1/160 हिस्सानुसार संयुक्त रूप से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज है। खातेदार चुन्नीबाई पत्नी पन्नालाल महाजन का निधन हो चुका है जिनके विधिक वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 20 तक है। हम उभय पक्षकारान का सजरा खानदान निम्न है :—

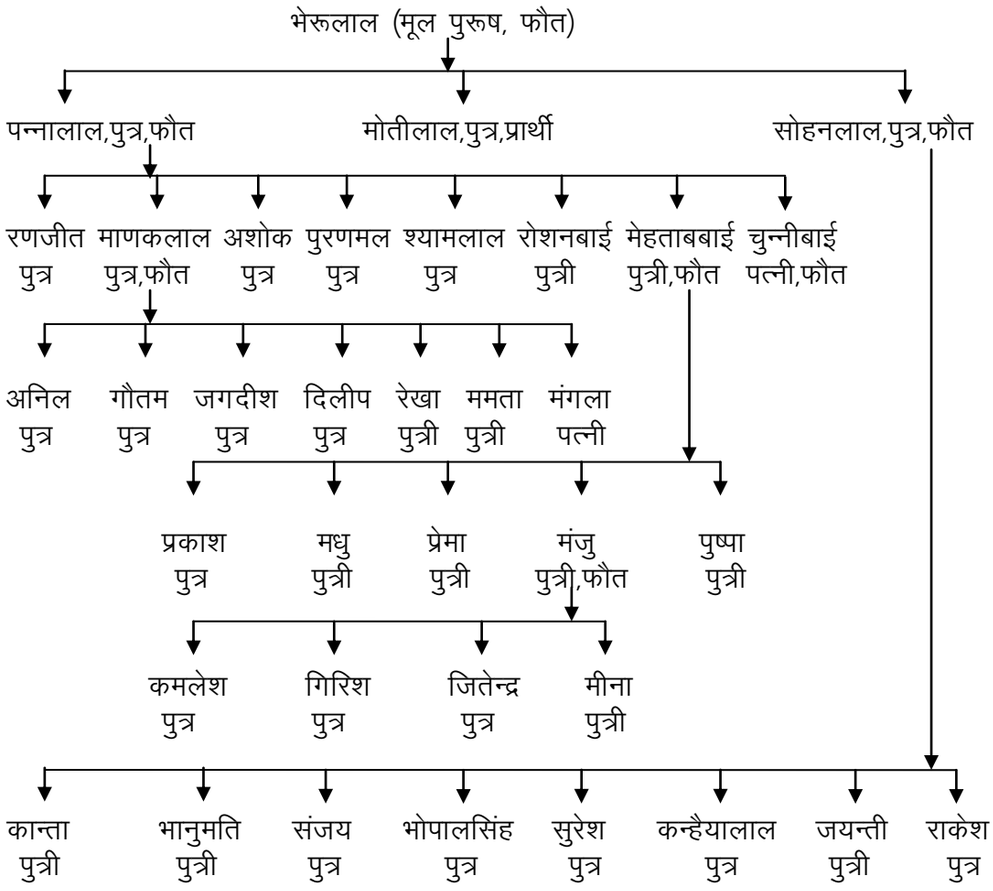

उपरोक्त सजरे अनुसार हमारे मूल पुरूष श्री भेरूलाल जी महाजन थे जिनके तीन पुत्र पन्नालाल, मोतीलाल (प्रार्थी) एवं सोहनलाल हुए जिनमें से पन्नालाल व सोहनलाल का निधन हो चुका है जिनके वारिसान उक्त वर्णित सजरे में दर्शाये गये और सभी जीवित वारिसान को पक्षकार क्रमा बनाया गया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमि जो विपक्षी संख्या 1 से 20 के नाम पर दर्ज है वो कुलिया कृषि भूमि पूर्व में हमारे मौरूस भेरूलाल जी के कब्जे अधिकार में थी और हमारे मौरूस अपने जीवनकाल में स्वयं ही इसका उपयोग उपभोग करते थे और उनके तीनो पुत्र अर्थात मै प्रार्थी एवं मेरे भाई पन्नालाल व सोहनलाल भी हमारे पिता के साथ ही रहते थे अर्थात् हम सभी संयुक्त परिवार में ही रहते थे उस कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि को हमारे पिता ने अपने सभी पुत्रो के नाम पर नहीं कराकर अपने बडे पुत्र अर्थात विपक्षी संख्या 1 से 20 के मौरूस श्री पन्नालाल के नाम पर ही आवंटन करा दी जिससे उक्त कृषि भूमि श्री पन्नालाल के नाम पर दर्ज हो गई। किन्तु मौके पर हमारे पिता ने उनके जीवनकाल में ही तीनो पुत्रों के मध्य समान हिस्सेनुसार अर्थात 1/3, 1/3, 1/3 हिस्सेनुसार पांती बंटवाडा कर तीनो पुत्रों को पृथक–पृथक रूप से कब्जा सुपुर्द कर दिया था जिससे मैं प्रार्थी एवं मेरे भाई पन्नालाल व सोहनलाल अपने–अपने हक हिस्से की भूमियों पर स्वतन्त्र रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और उसी अनुसार आज भी मैं प्रार्थी अपने हिस्से की कृषि भूमि पर अपने परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्वक काबिज हो उपयोग उपभोग करता आ रहा हूं एवं मुझ प्रार्थी ने अपने हिस्से कब्जे की भूमि के चारो तरफ थोहर की बाड एवं कोट करा रखी है और काफी खर्चा कर एवं परिवार सहित मेहनत मजदूरी कर अपने हिस्से कब्जे की भूमि को उपजाऊ बनाकर आवादान योग्य किया जिससे मेरे हिस्से की भूमि वर्तमान में उपजाऊ हो गई जिस पर आज भी मैं प्रार्थी शांतिपूर्वक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा हूं जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 28 अथवा अन्य किसी का कोई हक दखल अधिकार नहीं है क्योंकि भाई पन्नालाल एवं सोहनलाल उनके हिस्से की भूमियों पर वे अपने जीवनकाल में काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आये एवं इनके निधन होने के बाद उनके हिस्से पर उनके विधिक वारिसान अर्थात भाई पन्नालाल के हिस्से पर उनके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 20 एवं सोहनलाल के हिस्से पर विपक्षी संख्या 21 से 28 वर्तमान में काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है परन्तु वर्तमान में मुझ प्रार्थी के हिस्से कब्जे की भूमि पन्नालाल की मृत्यु होने पर उसके वारिसान विपक्षी संख्या 1 से 20 के नाम पर खातेदारी में अंकित हुई तथा वर्तमान में भी विपक्षी संख्या 1 से 20 के मन में लोभ लालच की भावना पैदा हो गई है और वह मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से व नाजायज लाभ प्राप्त करने की नियत से सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है जबकि विपक्षी संख्या 1 से 20 को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि मुझ प्रार्थी का उक्त भूमि में मेरे हिस्से की भूमि पर मेरे पिता के जीवनकाल से अर्थात लगभग [illegible]5 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा निरन्तर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है जिसमें विपक्षी संख्या 1 से 20 या इनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

परिवारजन का कभी कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है और न ही वर्तमान में है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षी संख्या 1 से 20 के नाम दर्ज हिस्सा भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि को अपने नाम खातेदारी हक की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हूं जिसके लिए माननीय न्यायालय आपमें वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया हैं।

3. यह कि वाद वर्णित कृषि भूमि के 1/3 हिस्से पर हर आम एवं खास की जानकारी में मुझ प्रार्थी का करीबन 60–65 वर्षों से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और मैं प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के निर्विवाद रूप से करता आ रहा हूं और मुझ प्रार्थी ने मौके पर मेरे हिस्से में आयी भूमि पर थौहर की बाड एवं कोट कर रखी है और मैने अपने हक हिस्से की भूमि को काश्त योग्य बनाने में भी फर्दन–फर्दन अब तक लाखो रूपयों का खर्चा किया एवं परिवार सहित सख्त परिश्रम कर अपनी भूमि को आवादान की है और मौसमवार फसलो की बुवाई कर पैदावार प्राप्त करता आ रहा हूं और वाद वर्णित कृषि भूमि के 1/3 हिस्सा भूमि पर मुझ प्रार्थी का विगत 60–65 वर्षो से प्रतिकूल कब्जा चला आ रहा है जिसके आधार पर भी धारा 63(1)(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मैं प्रार्थी खातेदार काश्तकार हो गया हूं। इसलिए मैं प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि को एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा करा अपने नाम पर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी हूं। मुझ प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि विपक्षी संख्या 1 से 20 के नाम अंकित भूमि पर पहले हमारे मौरूस भेरूलाल जी काश्त करते थे और उन्होने ही अपने कब्जे काश्त की भूमि को अपने बडे पुत्र पन्नालाल के नाम आंवटन कराई थी लेकिन हमारे पिता ने अपने जीवनकाल में ही तीनो पुत्रों के मध्य उक्त भूमि का पांती बंटवाडा कर समान हिस्से अनुसार मौके पर काबिज करा दिया था और तब से मै प्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात में अपने हिस्सा भूमि पर काबिज हो अपने हिस्सा भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के, निर्बाध रूप से, निरन्तर बिना किसी रोकटोक के कर रहा हूं जिसे करीब 60–65 वर्ष का समय हो चुका है। मेरे हक हिस्से की भूमि पर विपक्षी संख्या 1 से 20 के नाम पर दर्ज होने से विपक्षी संख्या 1 से 20 मुझ प्रार्थी को धमकी दे रहे है कि हम तुम्हारे हिस्से की जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच देगे और खरीददार लाठी के दम पर तुम्हे बेदखल कर कब्जा कर लेगें जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं प्रार्थी विपक्षीगण के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि विपक्षी संख्या 1 से 20 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में अपने नाम दर्ज भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तांतरण नहीं करे, प्रार्थी का मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, मौके व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे तथा विपक्षी संख्या 29 से 31 विपक्षी संख्या 1 से 20 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण नहीं खोले, रेकार्ड में किसी प्रकार रद्दोबदल नहीं करे, न करावें। अगर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो मुझ प्रार्थी को भारी क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसों में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन भी मुझ प्रार्थी के पक्ष में है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं।

4. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 15.10.2024 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षी संख्या 1 से 20 ने मेरे कब्जे काश्त की भूमि को विक्रय करने की धमकी दी और मुझ प्रार्थी द्वारा मेरे हिस्से कब्जे की जमीन मेरे नाम पर कराने हेतु कहा तो इन्होने साफ इन्कार कर दिया, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

5. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में व विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 20 उक्त वर्णित आराजीयात में अपने नाम अंकित भूमि को अन्य किसी व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, मुझ प्रार्थी को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा न ही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावे, रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। विपक्षी संख्या 30 को पाबंद किया जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 20 उक्त भूमि के संबंधित किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन/नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत करे तौ ताफैसला मूल वाद उसका पंजीयन नहीं करे, नामान्तरकरण नहीं खोले और विपक्षी संख्या 29, 31 ताफैसला मूल वाद राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं राजस्व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

6. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 2, 4 से 16, 18, 20 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात हम विपक्षीगणो के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज है तथा सम्पूर्ण आराजीयात पर हम विपक्षीगण पन्नालाल जी के विधिक वारिस होने की वजह से हिस्से अनुसार [illegible] काश्त होकर खेती करते चले आ रहे है वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं [illegible] प्रार्थी का उक्त भूमि में किसी तरह का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

कोई कब्जा नहीं था। उक्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व पन्नालाल जी के कब्जे काश्त में होने से एवं आंवटन की कार्यवाही में कब्जे की जांच के आधार पर पन्नालाल पिता भेरूलाल के नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हैसियत से आंवटित हुई थी। प्रार्थी का यह कथन सर्वथा निराधार है कि उक्त जमीन पन्नालाल के पिता भेरूलाल ने पन्नालाल के नाम दर्ज करवाई हो उक्त भूमि पर पन्नालाल पिता भेरूलाल का कब्जा था। सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा कब्जे की जांच करते हुए कब्जा पन्नालाल पिता भेरूलाल जी का पाया जाने से आंवटन की पत्रावली दर्ज कर आवंटन आदेश जारी किया गया था जिसमें भेरूलाल जी के अन्य वारिसों का कोई हक व अधिकार नहीं था। भेरूलाल जी के जीवनकाल में इस भूमि का कोई बंटवाडा नहीं है ना ही इस जमीन पर प्रार्थी एवं सोहनलाल का कोई कब्जा था। उक्त भूमि न तो मौरूसी जमीन थी और न ही संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पति थी। उक्त भूमि पन्नालाल पिता भेरूलाल जी की स्व अर्जित सम्पति थी, जो स्वयं प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय को अवगत करवाया है कि उक्त भूमि पन्नालाल को ही आंवटित हुई है। आंवटन के सही पाये जाने पर भी आंवटन आदेश पारित किया गया। प्रार्थी हम विपक्षीगणों को नाजायज रूप से तंग व परेशान करने के आधार पर एवं एडवर्स पजेशन का विवरण देते हुए हमें हमारी भूमि से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है जिसका प्रार्थी को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी ने न्यायालय के समक्ष उक्त भूमि के सम्बन्ध में मिथ्या कथन प्रस्तुत किये है कि प्रार्थी को वाद वर्णित आराजीयात ही आंवटित हुई है जबकि वाद वर्णित आराजीयात के साबिक नम्बर 832, 831, 746, 747, 748 थे, जबकि जमाबन्दी सेटलमेन्ट सम्वत् 2010 के अनुसार उक्त भूमि माफीदार खास पन्नालाल वल्द भेरूलाल महाजन के नाम पर आराजी साबिक नम्बर 133, 737, 738, 744, 745, 746, 747, 831, 832, 847 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज थी जो नयी जरीब के हिसाब से कुल 13 बीघा के करीब होती है। विपक्षीगण ने केवल मात्र कुछ ही आराजीयो का अपने मन माफिक ढंग से कब्जे में बताते हुए गलत तरीके से दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के पिता जी ने विपक्षीगण के पिता एवं दादा जी के नाम पर करवाई थी। प्रार्थी ने सम्पूर्ण आराजीयात के बारे में अपने प्रार्थना पत्र में कही नहीं बताया कि पुरानी जरीब के हिसाब से 10 बीघा 12 बिस्वा भूमि का विलोपन कहा हुआ और प्रार्थी ने उक्त भूमि के बाबत दावा क्यो नहीं किया। प्रार्थी केवल मात्र मेरी आराजीयात को हडपने के लिये मनगढन्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत किया है प्रार्थी ने झुठे तथ्य गलत न्यायालय में पेश किये हैं कि वादग्रस्त भूमि भेरूलाल ने पन्नालाल के नाम पर ही आंवटन करवाई हो, जबकि उक्त सम्पति मौरूसी नहीं होकर पन्नालाल स्वयं की है व प्रार्थी ने आधे–अधुरे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि प्रार्थी का उक्त वर्णित आराजीयात पर कभी भी इंच मात्र भी कब्जा नहीं रहा है। उक्त भूमि पर हम विपक्षीगण के पिता पन्नालाल पिता भेरूलाल का आंवटन के समय से कब्जा चला आ रहा है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उक्त सम्पूर्ण भूमि पर हम विपक्षीगण कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है, खेतो के चारो ओर कोट व बाड हमने करवाई हैं। प्रार्थी का अभी तक उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जा नहीं है, क्योंकि विपक्षीगण का कब्जा आज दिनांक तक हमारी जानकारी में नही रहा और न ही प्रार्थी का वादग्रस्त आराजीयात पर खुले एवं कुख्यात उपयोग रहा हैं। हम विपक्षीगणों की भूमि पर प्रार्थी को कभी भी खेती करते हुए नहीं देखा है न ही प्रार्थी द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज बिल या रसीदे पेश की है जिसमें प्रार्थी ने वादग्रस्त भूमि पर कोट व निर्माण किये हुऐ हो। प्रार्थी का उक्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे करने के समय से न ही हम विपक्षीगण और न ही हमारे पिता जी को कोई पत्राचार या पूर्व में कोई मुकदमा दायर किया हो जिससे प्रतिकूल कब्जे की गणना की जा सके। इस कारण प्रार्थी द्वारा 60–65 वर्षों के कब्जे की अवधारणा पूर्णतयाः निराधार है तथा न्यायिक दृष्टान्तो के अनुसार न्यायालय के आदेश में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है, इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जाना आवश्यक हैं। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। आंवटन समिति द्वारा मौका रिपोर्ट के उपरान्त पन्नालाल पिता भेरूलाल का कब्जा पाया गया। राजस्व कर्मचारियों ने उसकी जांच की व कब्जे के आधार पर आवंटन को स्वीकृत करते हुए पन्नालाल पिता भेरूलाल के नाम पर उक्त भूमि को आंवटित की और न ही सकृषक के रूप में भेरूलाल जो कि प्रार्थी के पिता जी है, इनके नाम का कोई दस्तावेज या कोई सहमति–पत्र पेश किया है जिससे साबित हो कि भेरूलाल ने उक्त भूमि पन्नालाल के नाम पर आंवटित करवाई हो। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की नही थी और न ही भेरूलाल जी का उक्त भूमि पर कोई हक हिस्सा था। भेरूलाल जी के जीवन काल में उक्त भूमि का बंटवाडा करवाया जाना सर्वथा असत्य है, क्योंकि उक्त भूमि सीधे ही पन्नालाल पिता भेरूलाल के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज हुई और न ही उक्त भूमि मौरूसी सम्पति थी। पन्नालाल पिता भेरूलाल उक्त भूमि पर आंवटन के समय से उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करता आ रहा है और वर्तमान में भी पन्नालाल जी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिस हम विपक्षीगण कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है। प्रार्थी को उक्त भूमि को विक्रय करने की कोई धमकीया हमारे द्वारा नहीं दी गई हैं। हम विपक्षीगण रिकार्डेड खातेदार है जिस कारण हम विपक्षीगणो के विरूद्व अर्थात खातेदारों के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई अधिकार प्रार्थी को पैदा नहीं होता है। प्रार्थी ने मिथ्या प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न करने के लिए हम विपक्षीगण के विरूद्व झुठे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

आरोप लगाये है जो सर्वथा निराधार है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 63 (1), (4) अर्थात् एडवर्स पजेशन साबित करने के सम्बन्धित आवश्यक शर्तों के सम्बन्धित किसी भी दस्तावेज या रसीद को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हैं। विपक्षीगण का उक्त भूमि पर आंवटन के समय से कब्जा है वर्तमान में हम विपक्षीगण रेकार्डेड खातेदार हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में गलत तरीके से हुए आवंटन के आधार पर खातेदारी अधिकार हेतु दावा व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी को गलत आवंटन के विरूद्व आंवटन खारिज करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

8. यह कि प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है। वादग्रस्त भूमि पन्नालाल जी की स्वअर्जित सम्पति है। पन्नालाल जी अपनी स्वअर्जित सम्पति पर करीब 70 वर्षों से वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई कब्जा आधिपत्य नहीं हैं। उक्त भूमि पर हम विपक्षीगण पीढी दर पीढी खेती करते आ रहे है और फसल प्राप्त करते आ रहे हैं। प्रार्थी को कोई अपूरणीय क्षति कारित नहीं होगी। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जिस दिनांक को लेकर प्रार्थना पत्र कारण जाहिर किया है उस दिन कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र को परिसीमा अवधि में लाने हेतु झुठा एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न किया है जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण का जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

9. विपक्षी संख्या 32 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पूर्व में पन्नालाल पिता भेरूलाल जी महाजन के नाम पर दर्ज थी। पन्नालाल जी की मृत्यु के उपरान्त उनके वारिसों के नाम पर हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि पूर्व में पन्नालाल पिता भेरूलाल जी के नाम पर ही दर्ज हुई थी तथा सम्पूर्ण भूमि पर पन्नालाल का ही कब्जा था। पन्नालाल जी की कब्जे काश्त की अन्य जमीनें भी ओर थी जिस पर पन्नालाल जी को आंवटन होने के समय से स्वयं पन्नालाल का कब्जा काश्त चला आ रहा है पन्नालाल जी के किसी भी भाई का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं था। पन्नालाल जी द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने से पूर्व उक्त भूमि पर कब्जा पन्नालाल जी ने अपने स्वयं का ही बताया तथा हमारी जानकारी में भी कई वर्षो से उक्त भूमि पर पन्नालाल जी ही फसल इत्यादि बोते आ रहे है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर हमने गेहुं एवं धान की फसल बोई है। उक्त भूमि पर पन्नालाल जी के भाई मोतीलाल एवं सोहनलाल एवं उनके वारिसों उक्त भूमि के इंच मात्र पर भी कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

नहीं था तथा हम विपक्षीगणों द्वारा जमीन की विक्रय दिनांक से वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है तथा आज दिनांक तक प्रार्थी एवं किसी अन्य ने उक्त भूमि के उपयोग उपभोग बाबत् रोक–टोक नहीं की तथा उक्त भूमि का उपयोग उपभोग हम विपक्षीगण अपने परिवारजनों सहित करते आ रहे है तथा उक्त भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं था। कई वर्षो से हम विपक्षीगणो की जानकारी में नही थी उक्त भूमि पर केवल मात्र पन्नालाल पिता भेरूलाल ही खेती करते आ रहे है तथा पन्नालाल जी की मृत्यु के उपरान्त पन्नालाल जी के विधिक वारिसों ने उक्त जमीन पर कब्जे काश्त थे जिन्होने उक्त भूमि का विक्रय हम विपक्षीगणों के पक्ष में किया था, तब हम विपक्षीगण उक्त भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है, इस कारण उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई कब्जा नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में चलने योग्य नहीं होकर खारिज होने योग्य हैं। मोतीलाल पिता भेरूलाल का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं रहा। दस्तावेजो की जांच कर हम विपक्षीगण ने उक्त भूमि पन्नालाल जी से क्रय की है तथा उक्त भूमि पन्नालाल पिता भेरूलाल जी को राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई। वादग्रस्त आराजीयात के अलावा पन्नालाल जी को अन्य आराजीयात आंवटित हुई थी। प्रार्थी ने उक्त तथ्य को न्यायालय में छिपाते हुऐ केवल मात्र वादग्रस्त भूमि का आंशिक प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिस कारण भी उक्त वाद चलने योग्य नहीं है क्योंकि प्रार्थी के कथनानुसार पन्नालाल पिता भेरूलाल जी के नाम पर दर्ज जमीन में 1/3 हिस्से पर मोतीलाल अपना हिस्सा जाहिर करता है तो मोतीलाल जी को पन्नालाल जी के नाम पर आंवटित की गई समस्त आराजीयात पर दावा करना चाहिए था परन्तु हम विपक्षीगणों की जमीन हडपने के लिए झुठे तथ्यों के आधार पर आंशिक आराजी पर ही दावा आप न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने एडवर्स पजेशन के आधार पर आप न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो आप न्यायालय में पोषणीय नहीं है और खारिज होने योग्य हैं। काश्तकारों की भूमि में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा हेतु अवधारणा को उच्चतम न्यायालयों ने भी खारिज किया है तथा प्रतिपादित सिद्धान्त दिया कि किसी भी खातेदार को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं।

10. यह कि हम विपक्षीगणों द्वारा वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व खरीदी गई थी। प्रार्थी ने जानबुझकर उक्त प्रार्थना पत्र में हम विपक्षीगणों को पक्षकार नहीं बनाया है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर हम कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कोई हक हकुक नहीं होने से एवं प्रार्थी उक्त भूमि का खातेदार नहीं होने से हम विपक्षीगण के विरूद्ध किसी भी अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

का अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षीगण का जवाबदावा स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे व प्रार्थी से विपक्षीगण को धारा–35ए के तहत विशेष हर्जाना दिलाया जावें।

11. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRD 1993 Page 206 पेश किये। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RRT 2020 (2) Page 1071, RRT 2018 (1) Page 655, RRT 2018 (1) Page 693, RRT 2018 (1) Page 175, RRT 2022 (2) Page 1119, RRT 2020 (2) Page 1082, RRT 2018 (2) Page 1276, RRT 2011 (1) Page 403 पेश किये।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक हैः–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 20 के मौरूस पन्नालाल के नाम दर्ज थी। वर्तमान में उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 20 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं हैं। प्रार्थी द्वारा घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिकुल कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। चूंकि प्रकरण में विपक्षीगण खातेदार काश्तकार है, ऐसी स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसके हक अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। विपक्षीगण से वादग्रस्त भूमि का विपक्षी संख्या 32, 33 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय किया गया है। विपक्षी सं. 32, 33 सद्भावी क्रेता हैं। अतः खातेदार के विरूद्व तथा सदभावी क्रेता के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. *अपूरणीय क्षति–* चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार विपक्षी सं. 1 से 20 है। विपक्षी सं. 32, 33 द्वारा वादग्रस्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया हैं। यदि विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] जाती है तो इससे विपक्षीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्र[illegible] प्रतिकुल कब्जे के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत किया गया है। परन्तु कब्जे संबंधि कोई भी साक्ष्य अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नही किया है। ऐसे में प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूरणीय क्षति नही होना प्रतीत होती है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्व निर्णित किया जाता है।

3. *<u>सुविधा का संतुलन</u>* – चूंकि वाद वर्णित भूमि के खातेदार विपक्षी संख्या 1 से 20 है। प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला एंव अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु भी प्रार्थी के विरूद्ध साबित होता है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वर्णित भूमि वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 20 के नाम हिस्सेनुसार दर्ज है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि का खातेदार नहीं हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 32, 33 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की है। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बताकर घोषणा चाही गई हैं, जिसको मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के द्वारा तय किये जायेगे। इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। इस संबंध में निम्न न्यायिक दृष्टांत का उल्लेख किया जाना उचित है जो इस प्रकार है :–

2018(2) RRT 1275

BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Bhagirath VS. Ramchandra & Ors.

Revision TA No. 2598/Hanumangarh of 2018 Decided on 19th June, 2018

"*Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212-Order of temporary injunction granted in favour of the non-petitioners No. 1 & 2-Appeal dismissed-Petitioner/defendant is the recorded khatedar of the land-Dispute between father & son-Land purchased in the name of the petitioner & he is the owner of the property u/Sec. 4 of Prohibition of Benami Transaction Act, 1908-Khatedar cannot be restrained by temporary injunction-Held, Orders are contrary to law & set aside."* (Para 4)

2011(1) RRT 403

BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

Uda VS. Gulab Bai & Ors. - Decided on 14th Jan., 2011

Revision/TA/No. 6490/Bundi of 2002

Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212-Temporary injunction-Application rejected--Suit filed on the ground of adverse possession-Non-petitioner No.1 is the recorded khatedar & she is in possession of the land-Petitioner failed to prove title & possession on land in question-Held, No jurisdictional [illegible] in the order of Courts below. *(Para 7)*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतो से स्पष्ट है कि प्रतिकुल कब्जे के आधार पर प्रस्तुत दावे के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा में रिर्कोडेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इस प्रकरण में भी वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के विपक्षी सं. 1 से 20 खातेदार होने से इनको अपनी भूमि का उपयोग उपभोग करने का पूरा अधिकार हैं। रिर्कोडेड खातेदार से उक्त भूमि विपक्षी संख्या 32, 33 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की जाने से विपक्षी संख्या 32, 33 को भी उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है। ऐसी स्थिति में यदि खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो उसके हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। यदि प्रकरण में खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो खातेदारों को अपूरणीय क्षति होगी। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णित किये गये है। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि से तय किये जावेगे। उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:37:19 IST
Reason: SelfAttested